

5

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 05/2014-15

गिरिश बेसराअपीलकर्ता
बनाम
दानियल सोरेन एवं अन्यउत्तरकारी

॥ आदेश ॥

06/05/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 05/2014-15 गिरिश बेसरा बनाम दानियल सोरेन एवं अन्य, मौजा कड़हरबील, अंचल दुमका के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 वाद सं0 45/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2014 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा कड़हरबील, अंचल दुमका के जमाबन्दी नं0 30 के दाग सं0 162 कुल रकवा 04-17-08 धूर जमीन विगत गैंजर सर्वे में कान्हु बेसरा पे0 विरजू बेसरा के नाम से दर्ज है। अपीलकर्ता जमाबन्दी रैयत के वंशज एवं उत्तराधिकारी है। उत्तरकारीगण द्वारा उक्त जमीन को दान-पत्र में प्राप्त कर घर बनाकर बसोबास कर रहे हैं। अपीलकर्ता द्वारा निम्न न्यायालय में उत्तरकारियों को प्रश्नगत जमीन से उच्छेदित करने हेतु उच्छेदी वाद दायर किया गया एवं इस पर अंचल अधिकारी, दुमका से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दाग सं0 162 के अंश रकवा 00-04-00 धूर (चार कट्ठा) करके जमीन में (1) श्री दानियल सोरेन पिता स्व0 जोहन सोरेन (2) श्रीमति एलबीना किस्कु पति रामेश्वर मुर्मू (3) मुजू सोरेन पति दसमत किस्कू (4) श्री स्माईल मरांडी पिता मोसे मरांडी एवं (5) श्रीमति सरोजनी सोरेन पति जे.पी. मुर्मू द्वारा दान-पत्र के माध्यम से जमीन प्राप्त किया है एवं दान-पत्र द्वारा प्राप्त जमीन भूमि पर पक्का मकान सह आँगन बनाकर सपरिवार बसोबास कर रहे हैं। निम्न न्यायालय द्वारा यह कहकर उत्तरकारियों को प्रश्नगत जमीन से उच्छेदित नहीं किया गया कि "विवादित जमीन पर विपक्षियों (उत्तरकारियों) द्वारा मकान सह आँगन बनाकर सपरिवार निवास किया जा रहा है। सं0प0 काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 कृषि योग्य भूमि पर लागू माना जाता है न कि मकान पर। विवादित स्थल पर विपक्षियों द्वारा मकान बनाया जा चुका है। जमीन का स्वरूप बदल चुका है। ऐसी स्थिति में मकान से उच्छेदित करना न्यायसंगत जान नहीं पड़ता है।

इस आदेश के विरुद्ध मैं यह अपील दायर किया गया है। स्पष्ट है कि उत्तरकारियों द्वारा जमाबन्दी जमीन को दान-पत्र द्वारा प्राप्त कर मकान सह आँगन बनाकर सपरिवार निवास कर रहा है।

M

सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 20(1) में उल्लेख है कि—

“No transfer by a Raiyat of his right in his holding or any portion thereof, by sale, gift, mortgage, will, lease or any other contract or agreement, express or implied, shall be valid, unless the right to transfer has been recorded in the record-of-rights, and then only to the extent to which such right is so recorded.”

उसी प्रकार अपीलकर्ता द्वारा दाखिल माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के डब्लू.पी.(सी.) नं0 1401/07 चक्रम महतो बनाम् झारखंड सरकार में पारित आदेश दिनांक 01.07.2009 जो 2009(4) जे.एल.जे.आर. पेज सं0 01-06 में प्रकाशित है के अनुसार— Section 20 and 42- eviction from land and house- Section 42 confers very wide power and scope for Deputy Commissioner, to evict any unauthorized person who was in possession of agricultural land in contravention to provisions of Section 20-no documentary evidence produced by petitioners to prove their possession over land in question for 12 years prior to coming into force of 1949 Act-as such, they were liable to be ejected under provisions of Section 42-no right will be acquired or accrue in contravention of Section 20.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि रैयतों के जमीन को विक्री, दान-पत्र आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि उनका दखल सं0प0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के 12 वर्ष पूर्व है तो उनका दावा उक्त जमीन पर बनता है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरकारी का दखल प्रश्नगत जमीन पर दान-पत्र के आधार पर वर्ष 2006-07 एवं 2008 से है। ऐसी स्थिति में उत्तरकारी का दखल प्रश्नगत जमीन पर वैध नहीं माना जा सकता है। उत्तरकारी गणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल बी.बी.सी.जे. 1988 पेज सं0 372-375 में प्रकाशित सी.डब्लू.जे.सी. 1970/1975 में पारित आदेश द्वारा यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मकान निर्मित जमीन पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 लागू नहीं होता है। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के डब्लू.पी.(सी.) 1401/07 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2009 में उल्लेख है कि मकान निर्मित भूमि के अवैध अतिक्रमण भूमि से उच्छेदित किया जा सकता है। यदि उक्त भूमि पर दखल सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के 12 वर्ष पूर्व से न हो। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

DR 239 dt
29/6/16

Note